

GRAM: JIVABANDHU

Phone : 04424571025

04424571024

Fax : 04424571016



## ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA

(Ministry of Environment and Forests, Govt. of India)

Post Box No. 8672

13/1, Third Seaward Road, Valmiki Nagar, Thiruvanniyur, Chennai - 600 041

Email : awbi@md3.vsnl.net.in Website: www.awbi.org

No.10-33/2015-16/AWO

22-6-2015

To  
All Recognized Animal Welfare Organisations

Sir/Madam,

Sub: Circular/Show Cause Notice to all Recognised Animal Welfare Organisations of AWBI who do not submit the Annual Reports, Activity Reports and Audited Accounts to the Board- Reg.


The Animal Welfare Board of India has granted Recognition to Animal Welfare Organisations / NGOs which apply to the Board for its affiliation. One of the terms and conditions of the Recognition granted is that the Animal Welfare Organisations shall submit the Annual Reports, Activity Reports, Audited Accounts and Statements to the Board every year.

The Board has noticed that a large number of Organisations do not furnish/submit the Annual Reports, Activity Reports, Audited Accounts and Statements to the Board every year. The Board does not have any information about the functioning of such Organisations. It has been decided to issue Show Cause Notice to such organizations as to why the Recognition granted by AWBI should not be revoked and the AWO is de-recognised from the Animal Welfare Board of India's affiliation.

Those organizations who have not furnished/submitted the above said Reports are directed to furnish the explanation for not sending the Reports and forward the same along with any other documents/reports within a period of four weeks (one month) from the date of receipt of this Notice failing which the Board would take appropriate action to de-recognise the Animal Welfare Organisations from its affiliation.

The Show Cause Notice may be given top priority and importance by the Organisations and replied at the earliest to avoid any adverse action of de-recognition by the Board. Those organizations which are furnishing the Reports to the Board may ignore this notice.

This issues with the approval of Chairman, AWBI.

Yours faithfully,  
  
(S. Vinod Kumar)  
Assistant Secretary

ग्राम: जीवबन्धु



Phone: 04424571026

04424571024

Fax : 04424571016

## भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार)

पोस्ट बॉक्स नं. 8672

13/1, थर्ड सीवार्ड रोड, वाल्मीकि नगर, तिरुवान्मियूर, चेन्नई - 600 041  
ईमेल: awbi@md3.vsnl.net.in वेबसाइट: www.awbi.org

सं०: 10-33/2015-16/जी.ज.क.स.

दिनांक: 22.6.2015

सेवा में,

सभी मान्यता प्राप्त जीव-जंतु कल्याण संस्थाएं

महोदय/महोदया,

**विषय:** भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थाएं जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट, क्रिया-कलापों की रिपोर्ट, प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए हैं, के लिए जारी परिपत्र/कारण बताओ नोटिस के सम्बंध में।

जीव-जंतु कल्याण का कार्य करने वाली संस्थाएं बोर्ड की मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करती हैं। जीव-जंतु कल्याण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करते समय मान्यता की शर्तों व नियमों के आधार पर जीव-जंतु कल्याण संस्थाओं को प्रतिवर्ष वार्षिक रिपोर्ट क्रिया-कलापों की रिपोर्ट, प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए।

बोर्ड ने यह पाया है कि अधिकतर संस्थाएं प्रतिवर्ष वार्षिक रिपोर्ट, क्रिया-कलापों की रिपोर्ट तथा प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती हैं। बोर्ड के पास इन संस्थाओं के संचालन सम्बंधी कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं होती है। अतः यह निर्णय लिया जाता है कि इन संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये कि आपकी मान्यता क्यों न रद्द कर दी जाए तथा संस्था को बोर्ड की मान्यता सूची से हटा दिया जाये।

जिन संस्थाओं ने उपरोक्त वार्षिक रिपोर्ट क्रिया-कलापों की रिपोर्ट, प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए हैं, उनको यह निर्देश दिया जाता है कि अपना स्पष्टीकरण देते हुए उपरोक्त रिपोर्टों को प्रस्तुत करते हुए इस नोटिस की पावती के 4 सप्ताह (एक माह) के अन्दर रिपोर्ट भिजवायें। ऐसा न करने पर बोर्ड द्वारा संस्थाओं की मान्यता रद्द करने पर विचार किया जाएगा।

इस कारण बताओ नोटिस को आवश्यक समझते हुए, संस्थाएं शीघ्र-अतिशीघ्र अपना उत्तर दें, ताकि उपरोक्त कार्यवाही से बच सकें। जिन संस्थाओं ने बोर्ड को नियमित रूप से प्रतिवर्ष वार्षिक रिपोर्ट, क्रिया-कलापों की रिपोर्ट तथा प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड को भिजवा रहीं हैं, यह नोटिस उन संस्थाओं पर लागू नहीं होता।

भवदीय,

(एस.विनोद कुमार)

सहा० सचिव